रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234396
SG-DL-E-23032022-234396

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2022/चैत्र 1, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 552

No. 184] DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2022/CHAITRA 1, 1944 [N. C. T. D. No. 552

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सं. फा. 8(49)/प्रशा./डब्ल्यूसीडी/आरआर–आया/2021/791.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में आया के पद हेतु भर्ती नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, आया भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

1461C

4. **अयोग्यता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव.**—इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	आया
2.	**पदों की संख्या**	:	28*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा , ग्रुप ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स स्तर–1, 18000–56900/–रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 एवं 25 वर्ष के बीच * * यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाता है तो आयु सीमा 18 एवं 27 वर्ष के बीच होगी । टीप –1 केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/आदशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है । टीप –2 आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड /सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी ।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य :–** मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा किसी पंजीकृत संगठन से आया के रूप में कार्य करने का छः(06) माह का व्यावहारिक अनुभव। टीप 1 – अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप 2 – यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं ।
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या**	:	सीधी भर्ती द्वारा पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन

	प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से भरा जा सकता है। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले ।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" विभागीय पदोन्नति समिति स्थाईकरण पर विचारार्थ (i) प्रधान सचिव/सचिव (पशासनिक सुधार) – अध्यक्ष (ii) सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग –सदस्य (iii) उप–सचिव (सा.प्र.वि.), –सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. रश्मि सिंह, विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2022

F. No. 8(49)/Admn./WCD/RR for Aya/2021/791.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of Aya in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, Aya, Recruitment Rules, 2021'.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of posts.**	**Classific-ation.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**
1	2	3	4	5	6	7	8
Aya.	28* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group-'C'	Level – 1 (Rs. 18000-56900)	Not Applicable.	Between 18 and 25 years* * In case of post being filled up by All India open competition, it would be between 18 years and 27 years. **Note 1**: The upper-age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.	**Essential:** Matriculation or equivalent pass from recognized Board/Institute, and having six (06) months practical experience of working as an Aya from any registered organization. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedules Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable.

143|c

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
Two years.	By Direct Recruitment. **Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Govt./UTs. (a) holding analogous posts on regular basis and (b)Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7".	Not Applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:** 1. Pr. Secretary/ Secretary (AR)- **Chairman** 2. Secretary, DWCD GNCTD - **Member** 3. Dy. Secretary (GAD)- **Member**	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Spl. Secy. WCD

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.23 15:50:17 +05'30'